न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व प्रकरण सं. 63/2007

राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार, मसूदा जिला अजमेर .....अपीलार्थी

बनाम

1. श्री पर्वत सिंह पुत्र पृथ्वीसिंह कौम राजपूत निवासी भवानीपुरा .....अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री औमप्रकाश जी गुर्जर राजकीय अभिभाषक
2. श्री एन.एस. राजावत अभिभाषक अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 रेफरेन्स बाबत्

आदेश

दिनांक–25.7.2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम खरवा तहसील मसूदा के साबिक खसरा नं0 505 रकबा 02–17–00 किस्म नाला के हाल खसरा नं0 874, 875 रकबा 02–07–00, 0–10–0, किस्म बारानी 3 राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सवतं 2069–72 में अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज हो गया। पूर्व में प्रश्नगत भूमि की किस्म नाला दर्ज थी। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के डी.बी. जनहित याचिका 1536/2003 में सवंत 1350 फसली के बाद किस्म परिवर्तन करना एवं धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत खातेदारी दिया जाना विधिसंगत नहीं माना। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश दिनांक 18.7.2003 की पालना में राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी (Expert committee) की सिफारिशों के अनुसार उक्त विवादित आराजियात को "Original shape & Use" प्रदान करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर की जनहित याचिका संख्या 1536/2003 में पारित निर्णय दिनांक 2.8.2004 की पालना हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार उक्त प्रश्नगत आराजी की खातेदारी एवं परिवर्तन किस्म निरस्त कर भूमि सरकारी खाते में किस्म नाला दर्ज करने के अनुतोष हेतु प्रार्थी द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित करवाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपत्ति निरस्त फरमाये जाने रेफरेंस प्रकरण प्रस्तुत किया गया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। सुनवाई चाहने पर उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम खरवा तहसील मसूदा के साबिक खसरा नं0 505 रकबा 02–17–00 किस्म नाला के हाल खसरा नं0 874, 875 रकबा 02–07–00, 0–10–0, किस्म बारानी 3 राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सवतं 2069–72 में अप्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज हो गया। पूर्व में प्रश्नगत भूमि

जिला कलक्टर
अजमेर

की किस्म नाला दर्ज थी। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के डी.बी. जनहित याचिका 1536/2003 में सवंत 1350 फसली के बाद किस्म परिवर्तन करना एवं धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत खातेदारी दिया जाना विधिसंगत नहीं माना। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश दिनांक 18.7.2003 की पालना में राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी (Expert committee) की सिफारिशों के अनुसार उक्त विवादित आराजियात को "Original shape & Use" प्रदान करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर की जनहित याचिका संख्या 1536/2003 में पारित निर्णय दिनांक 2.8.2004 की पालना में दिनांक 15.8.1947 के समय सरकारी खाते में दर्ज किस्म नदी, नाला, झील, तालाब, जो वर्तमान रेकार्ड में अन्य के नाम दर्ज हो गये है कि पूर्व स्थिति बहाल करने हेतु अप्रार्थी के नाम दर्ज खातेदारी निरस्त कर पुनः भूमि सरकारी खाते में दर्ज करने के आदेश हेतु रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावें।

उपस्थित अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वर्तमान रेफरेन्स से पूर्व ही समान भूमि के लिए अप्रार्थी पर्वत सिंह के विरूद्ध श्री भँवरलाल द्वारा प्रार्थी तहसीलदार मसूदा को अप्रार्थी संख्या 02 के रूप में पक्षकार संयोजित करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत किया गया है। जो प्रकरण संख्या 5/2016 श्री भँवरलाल बनाम श्री पर्वतसिंह व राजस्थान सरकार न्यायालय अपर जिलाधीश अजमेर के समक्ष विचाराधीन है। बहस जारी रखते हुए अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा आगे निवेदन किया कि अप्रार्थी पर्वत सिंह द्वारा रेफरेन्स में वर्णित भूमि बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रार्थी तहसीलदार मसूदा को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय दिनांक 20.7.2015 अप्रार्थी के पक्ष में पारित किया गया। इस निर्णय के विरूद्ध प्रथम अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर के समक्ष विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर मय खर्चे निरस्त फरमाया जावें।

हमने उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस एवं रिकार्ड पत्रावली का अवलोकन, मनन किया। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा मुख्यतः कथन किया गया कि ग्राम खरवा तहसील मसूदा की प्रश्नगत आराजी बाबत जारी आवंटन आदेश को निरस्त करवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970, प्रकरण संख्या 5/2016 श्री भँवरलाल बनाम श्री पर्वतसिंह व राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मसूदा, न्यायालय अपर जिलाधीश अजमेर के समक्ष विचाराधीन है। उनका यह भी कहना है कि प्रश्नगत आराजी बाबत उपखण्ड अधिकारी मसूदा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.7.2015 के विरूद्ध प्रथम अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर के समक्ष भी विचाराधीन है।

चूंकि प्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स से पूर्व विवादित भूमि बाबत सक्षम न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत होकर विचाराधीन है। जिनमें प्रार्थी भी पक्षकार है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपना पक्ष मजबूति से उपरोक्त विचाराधीन प्रकरणों में रख सकते है। लिहाजा उपरोक्त स्थिति के मध्यनजर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं पाया जाता है। प्रार्थना पत्र, प्रार्थी निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 25.07.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर,
अजमेर